आपको समस्या समझ आती है तो हजार व्हील चेयर डोनेट कर दीजिए

हाल-ए-हमीदिया : व्हील चेयर-स्ट्रेचर की कमी पर बोले अस्पताल अधीक्षक

➡ नवभारत की रिपोर्टर के सवालों का सुनीत टंडन ने नहीं दिया उचित जवाब

11 माले की बिल्डिंग में कंधों पर टांगकर मरीज को ले जाने पर मजबूर परिजन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 23 जनवरी. हमीदिया अस्पताल दिन व दिन हाइटेक होता जा रहा है, लेकिन इस 11 माले की बिल्डिंग में मरीजों को व्हील चेयर और स्ट्रेचर की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है.

हजारों की संख्या में रोज इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को न तो समय पर व्हील चेयर मिल रही और न ही स्ट्रेचर. हमीदिया अस्पताल में सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर नवभारत रिपोर्टर पहुंची तो पाया कि कई मरीज के परिजन ओपीडी वार्ड में व्हील चेयर और स्ट्रेचर के लिए परेशान हैं और मरीज को कंधों पर टांगकर ले जा रहे हैं.

अस्पताल में आए दिन ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं. इसके बावजूद जिम्मेदार कार्रवाई करने और व्यवस्था को सुचारू बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे है. ओपीडी की पर्ची बनवाने के लिए भी मरीज परेशान होते देखे जाते हैं.

> मरीज नीलेश मिश्रा के परिजन ने बताया 1 घंटे से व्हील चेयर मांग रहा हूं, कह रहे व्हील चेयर नहीं है खुद देख लें कैसे ले जाना है. नवभारत रिपोर्टर ने शुक्रवार को अस्पताल अधीक्षक सुनीत टंडन से इस मामले में बात की तो उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और कहा कि आपको समस्या समझ आती है, तो हजार व्हील चेयर डोनेट कर दीजिए. इसके बाद जब रिपोर्टर ने मौजूदा समय में उपलब्ध व्हील चेयर की संख्या और स्ट्रेचर के बारे में पूछा तो अधीक्षक ने इस पर भी टाल मटोली करते हुए मरीजों की संख्या पर ठीकरा फोड़ दिया और जवाब से पल्ला झाड़ लिया.

> **व्हील चेयर और स्ट्रेचर की संख्या है नाकाफी**
> अस्पताल के हेल्प डेस्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओपीडी के लिए कुल 5 व्हील चेयर और 2 स्ट्रेचर ही है, जो कि ओपीडी के समय में ब्लॉक ए और बी सहित कई बार पुरानी बिल्डिंग में भी मरीजों को ले जाने और ले आने का काम करती हैं. जिसे ले जाने और ले आने के लिए केवल तीन वार्डबॉय हैं. व्हील चेयर और स्ट्रेचर और इनके लिए कर्मचारियों की कमी से परेशानी होती है.

एक नजर में

पुराने शहर में 4 ट्रक सामान किया जब्त

भोपाल. राजधानी में नगर निगम ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. यह कार्रवाई मंगलवारा सहित आधा दर्जन क्षेत्रों में की गई. जिसमें पक्के निर्माण, ठेले गुमटी की जब्त किया. यह कार्रवाई पूर्व में हुई बैठकों के निर्णय के पालन में की गई है. शहर में प्रशासन ने 16 अतिक्रमण वाले क्षेत्र चयनित किए हैं, जिसमें न्यू मार्केट पूर्व में की गई थी. वहीं और पुराने शहर में दूसरे दिन भी कार्रवाई की गई, जिसमें मंगलवारा बाजार, आजाद मार्केट, जुमेराती बाजार, लोहा बाजार, चौक बाजार से पीरगेट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए काउंटर, टेबल, स्टैंड, एंगल, पाइप, गेट, जालियां, बोर्ड, साइन बोर्ड, ठेले, गुमठी सहित 4 ट्रक सामान जप्त किया गया. वहीं दुकानों के बाहर पक्का निर्माण तोड़ा गया.

कर्मचारियों का आंदोलन हुआ स्थगित

भोपाल. मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में 21 जनवरी से मंत्रालय के सामने सतपुड़ा भवन के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था. यह सत्याग्रह आंदोलन पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपने के बाद एक माह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया है. यदि सरकार ने एक माह में मांगों का निराकरण नहीं किया तो 22 फरवरी को भोपाल में प्रांतव्यापी आमसभा आयोजित की जाएगी तथा आगामी विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने रूपरेखा तैयार की जाएगी.

दूसरे चरण में 1.14 लाख दावा-आपत्ति आए

भोपाल. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई के साथ ही दावा-आपत्ति लेने की प्रक्रिया खत्म हो गई है. अब तक 1 लाख 14 हजार 655 दावा-आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 66 हजार नये मतदाताओं ने फार्म छह जमा किए हैं. इसी तरह 27 हजार 104 नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि एक लाख चार हजार 63 की सुनवाई होना अब भी बाकि है. हालांकि नए मतदाता अब भी ऑनलाइन फार्म छह जमा कर सकते हैं, जिनका परीक्षण 21 फरवरी के बाद होगा.

संकल्प पत्र की वैधानिक जांच हो : शबिस्ता

ननि नेता प्रतिपक्ष ने संभाग आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

महापौर से अधिकार वापस लेने की मांग

भोपाल, 23 जनवरी. नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने शुक्रवार को संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और संकल्प पत्र, महापौर और एमआईसी पर कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कर्मचारियों पर बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया.

विपक्ष ने एमआईसी पर भी कार्रवाई की मांग की. विपक्ष ने ज्ञापन देकर धारा 19 के तहत महापौर के अधिकार वापस लेने की मांग की. आरोप लगाया कि अधीक्षण यंत्री को बचाते हुए कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई.

> **प्रमुख बिंदुओं पर जांच की मांग**
> - ➡ स्लाटर हाउस को 20 वर्ष की अनुमति देने वाले महापौर परिषद के संकल्प की वैधानिक जांच कराई जाए.
> - ➡ संकल्प पारित करने वाले एमआईसी सदस्यों की भूमिका तय की जाए.
> - ➡ कर्मचारियों पर की गई एक तरफा कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाए.
> - ➡ यदि अनुमति नियम विरुद्ध पाई जाती है, तो उत्तरदायित्व एमआईसी सदस्यों एवं अधीक्षण यंत्री पर तय किया जाए.
> - ➡ निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र समिति / उच्च स्तरीय जांच गठित की जाए.
> - ➡ अन्य लोगों के रोजगार से संबंधित आय के साधनों को नियम विरुद्ध तरीकों से न रोका जाए.
> - ➡ महापौर द्वारा गंभीर अनियमित्ता कर्तव्यों का दुर्पोयोग जनहित के विरुद्ध कार्य किया है.

लोकभवन कल से 27 जनवरी तक आमजन के लिए खुलेगा

लोकभवन का निखार सकेंगे प्राकृतिक सौंदर्य

भोपाल, 23 जनवरी. राज्यपाल मंगुभाई पटेल के निर्देशानुसार 25 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक लोकभवन आमजन के लिए खोला जा रहा है.

इस दौरान नागरिक लोकभवन की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और विशेष सजावट का आनंद ले सकेंगे. केन्द्रीय संचार ब्यूरो और मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा 'राजभवन से लोकभवन' विषय पर आधारित प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रहेगी. राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोकभवन का भ्रमण अवश्य करें और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संविधान के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करें.

यह आयोजन नागरिकों और शासन के बीच संवाद, सहभागिता और विश्वास को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. भ्रमण का समय 25 और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा. गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लोकभवन का भ्रमण प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा.

संलग्न शिक्षकों को डीईओ की सख्त चेतावनी

▸ मूल स्कूल नहीं पहुंचे तो फरवरी का वेतन रुकेगा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 23 जनवरी. बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने संलग्न शिक्षकों पर सख्ती शुरू कर दी है. जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार अहिरवार ने आदेश जारी किया है कि एक फरवरी से सभी संलग्न शिक्षक अपने मूल स्कूल में जाकर कार्यभार संभालें.

ऐसा नहीं करने पर फरवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा. बता दें राजधानी में करीब 250 शिक्षक लंबे समय से मूल पदस्थापना स्कूल की जगह मनपसंद स्कूलों और कार्यालयों में काम कर रहे थे. इनमें से लगभग 200 शिक्षक अपने घर के पास स्कूलों में अटैच होकर पढ़ा रहे थे. वहीं करीब 50 शिक्षक बीएलओ या अन्य प्रशासनिक काम के नाम पर सरकारी दफ्तरों में पदस्थ थे. हालिया जांच में कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी पाई गई, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है. जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं.

> **इनका कहना है**
> बीएलओ कार्य में लगे शिक्षकों की सूची कलेक्टर कार्यालय से मंगाई जा रही है. ऐसे शिक्षकों को प्रशासनिक काम से हटाकर मूल स्कूल भेजा जाएगा. साथ ही सभी संलग्न शिक्षक को मूल स्कूल में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है. जिसके आधार पर ही फरवरी का वेतन जारी किया जाएगा.
> **-नरेन्द्र कुमार अहिरवार,** जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

▸ बोर्ड परीक्षाओं में छुट्टी नहीं ले सकेंगे शिक्षक

जानकारी अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होंगी और करीब 16 लाख छात्र परीक्षा देंगे. इस दौरान 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू रहेगा. इस अवधि में शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेंगे और न ही किसी हड़ताल या आंदोलन में शामिल हो सकेंगे.

दो महिलाओं ने की आत्महत्या एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत

गोविंदपुरा में तीन अलग-अलग मर्ग किए कायम

भोपाल, 23 जनवरी. राजधानी के शुक्रवार को दो महिलाओं के आत्महत्या और एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज हुआ.

प्राप्त जानकारी अनुसार थाना गोविंदपुरा में धारा 194 बीएनएसएस के तहत तीन अलग-अलग मर्ग प्रकरण दर्ज किए गए. 23 वर्षीय दिव्या रघुवंशी ने शंकर नगर बरखेड़ा पठानी स्थित घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की. वहीं शांति नगर बरखेड़ा पठानी निवासी 45 वर्षीय मोहन कुमार वर्मा ने किराए के मकान में फांसी लगाई.

इसके अलावा बागमुगालिया निवासी 52 वर्षीय शैतान सिंह पाल की खेत में मशीन पलटने से घायल होने के बाद एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. सभी शवों का पंचनामा कर पीएम के लिए मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया गया है. पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मानदेय के इंतजार में अतिथि शिक्षक

विभाग ने मांगी बकाया भुगतान की पूरी जानकारी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 23 जनवरी. प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से पढ़ाने के बावजूद समय पर भुगतान न मिलने से कई शिक्षक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

लोक शिक्षण संचालनालय ने अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अप्रैल 2025 के पहले सत्रों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय की पूरी

जानकारी तय प्रारूप में जुटाई जाए. साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के प्रमाणीकरण के साथ यह जानकारी मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक संचालनालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले दी गई तारीख पर अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है. अब यदि तय समय पर जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस विषय पर अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित शिक्षकों जैसी सुविधा और समय पर मानदेय नहीं मिलता. कई शिक्षक कर्ज लेकर घर चला रहे हैं.

रेप-मर्डर केस में तिहरा मृत्युदंड बरकरार

हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, 2024 को मिला था शव

5 साल की बच्ची का किया था रेप-हत्या

भोपाल, 23 जनवरी. शाहजहांनाबाद क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी अतुल निहाले को सुनाया गया तिहरा मृत्युदंड मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने शुक्रवार को बरकरार रखा.

आरोपी के परिजनों द्वारा सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि भोपाल की विशेष अदालत ने अतुल निहाले (30) को अपहरण, बलात्कार और हत्या तीनों अपराधों के लिए अलग-अलग मृत्युदंड सुनाया था, जिसे तिहरा मृत्युदंड कहा गया. यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मध्यप्रदेश का पहला ऐसा मामला था. दोषी पेशे से मजदूर है.

अदालत ने इस जघन्य अपराध को विरलतम से विरलतम श्रेणी में रखते हुए कहा था कि यदि मृत्युदंड से भी बड़ी कोई सजा होती, तो वह भी दी जानी चाहिए थी. इसके अतिरिक्त अतुल निहाले को विभिन्न धाराओं में दोहरे आजीवन कारावास की सजा भी दी गई है. साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषी की मां बसंती निहाले और बहन चंचल को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी.

मामले के अनुसार, बच्ची 24 सितंबर 2024 को अपने चाचा के फ्लैट से खेलते समय लापता हो गई थी. पुलिस ने तलाश के दौरान आसपास के इलाकों में छानबीन की. दो दिन बाद बच्ची का शव आरोपी के फ्लैट में पानी की टंकी से बरामद हुआ था.

इंजीनियरिंग छात्रा की मौत के बाद हड़कंप

▸ हॉस्टल वार्डन पर उत्पीड़न का आरोप

भोपाल, 23 जनवरी. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय (आरजीपीवी) के यूआईटी परिसर स्थित गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा सव्याश्री मुनागला द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में गंभीर आरोप सामने आए हैं.

छात्र-छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की वार्डन ने छात्रा को एक युवक के साथ देखकर डांटा, उसका वीडियो बनाया और वह वीडियो परिजनों को भेज दिया, जिससे छात्रा गहरे तनाव में चली

गई. छात्रा ने गुरुवार को हॉस्टल के अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद कैंपस में तनाव का माहौल है. छात्रा के सीनियर आर्यमन देशमुख ने आरोप लगाया कि वार्डन द्वारा वीडियो बनाकर परिजनों को भेजना छात्रा की बदनामी का कारण बना और यही मानसिक प्रताड़ना उसकी मौत की वजह बनी. एक अन्य छात्र ने भी दावा किया कि वार्डन ने युवक से बात करते देखने के बाद छात्रा को फटकार लगाई थी और इस बात की शिकायत घर तक पहुंचाई गई. छात्रों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है. हालांकि, कुछ छात्रों ने वार्डन के पक्ष में भी बयान दिए हैं. हॉस्टल स्टाफ की एक महिला कर्मचारी ने वीडियो बनाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि छात्रा को केवल समझाइश दी गई थी और वीडियो बनाने की बात गलत है. कर्मचारी के अनुसार छात्रा डर गई थी और रोते हुए घर वालों को न बताने की बात कह रही थी.

> पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. छात्रा का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं, जो फिलहाल लॉक हैं. पुलिस का कहना है कि परिजनों, साथियों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. सव्याश्री धार जिले की रहने वाली थी और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम की पढ़ाई कर रही थी. वह एक दिन की छुट्टी लेकर गई थी, लेकिन घर नहीं गई थी. लौटने के बाद सामान्य पूछताछ हुई थी.

मुलाकात ▸ राज्य प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षणरत् अधिकारियों ने डीजीपी मकवाणा से की भेंट

अफसरों ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली

विशेष संवाददाता

भोपाल.23 जनवरी. राज्य प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षणरत भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के पांच अधिकारियों ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से सौजन्य भेंट की.

यह संवाद प्रशासनिक अनुभवों के आदान-प्रदान, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श तथा विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया. डीजीपी मकवाणा ने अधिकारियों का

स्वागत करते हुए उन्हें मध्यप्रदेश पुलिस की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली और दायित्वों की जानकारी दी. उन्होंने कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियानों तथा तकनीक आधारित पुलिसिंग में किए जा रहे नवाचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला. नैतिक आचरण पर जोर देते हुए डीजीपी ने कहा कि सार्वजनिक सेवा में प्रवेश के साथ ही ईमानदारी और निष्पक्षता अनिवार्य हो जाती है. उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष कार्य ही किसी अधिकारी की विश्वसनीयता और जन-विश्वास की वास्तविक आधारशिला होते हैं तथा निस्वार्थ सेवा ही लोकसेवा का सार है. दुर्ग, मुरैना और बस्तर में अपनी प्रारंभिक पदस्थापना के अनुभव साझा करते हुए मकवाणा ने शुरुआती चुनौतियों और निरंतर आत्म-प्रेरणा के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समस्याओं को समझना प्रभावी नेतृत्व की पहचान है. मंदसौर के कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्णय में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई से जन-विश्वास मजबूत होता है.

डीजीपी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को इस सीखने के दौर का पूरा लाभ उठाने, आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने, आधुनिक तकनीक अपनाने और पूरी निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य निर्वहन की सलाह दी.

> आईएफएस अधिकारियों ने अपने प्रशिक्षण अनुभव साझा करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक भूमिका और राज्य स्तर पर मजबूत आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के महत्व पर विचार रखे. उन्होंने मध्यप्रदेश पुलिस की जनहितकारी पहलों और नवाचारों की सराहना की. इस अवसर पर डीजीपी के पीएसओ विनीत कपूर, एसओ मलय जैन उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नेहा भारतीय ने किया.

भोपाल हाट में आजीविका ग्रीन मेला आज से होगा शुरू

- ▸ अनाज, बीज एवं बागवानी का सामान रहेगा उपलब्ध
- ▸ सीईओ हर्षिका सिंह ने दी मेले की जानकारी

भोपाल, 23 जनवरी . राजधानी के भोपाल हाट में 24 से 26 जनवरी तक तीन दिवसीय आजीविका ग्रीन मेले का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है.

मेले में मिशन अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के रसायन रहित उत्पाद आकर्षण का केन्द्र रहेंगे. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आजीविका मिशन हर्षिका सिंह ने बताया कि यह मेला अन्य मेलों से अलग है. इस मेले में शोभादार पौधों में गुलाब, सेवंती, डहेलिया आदि, आस्थाम के पौधों में तुलसी, शमी, बेल आदि, सब्जी के पौधों में टमाटर, मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, ग्राफ्टेड सब्जी में बैगन के पौधे उपलब्धा रहेंगे. उन्नत फलदार वृक्षों में ग्राफ्टेड आम, अमरूद नीबू (सीड लेस), संतरा, चीकू, अनार आदि विशेष रूप से उपलब्ध रहेंगे. मुख्य रूप से समूहों की नर्सरी में तैयार किए गए पौधे, फल, सब्जी, रसायन रहित अनाज, बीज, खाद, कीटनाशक एवं बागवानी का सामान इस मेले में उपलब्ध रहेगा.